No

अत्यंत महत्वपूर्ण

संख्या– 1495/26–3–2011

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊ :दिनांक 21 अप्रैल , 2011

विषयः– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के परिवारों के पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए जनपद स्तर पर समिति की बैठकों का आयोजना किया जाना।

महोदय,

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव, जनपद के समस्त मा0सदस्य लोक सभा/राज्य सभा अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य तथा जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य नामित हैं। उक्त समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित किये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं।

2– वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत की गयी समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि किसी भी जनपद में समिति की बैठकें प्रत्येक माह में आयोजित नहीं की गयी है, जिसके कारण पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी है तथा शासन में इस संबंध में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं।

3– अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में प्रश्नगत समिति की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाई जाय तथा बैठक से पूर्व उस माह तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण हेतु समिति से उन पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4– यहां यह स्पष्ट करना है कि धनराशि की प्रत्याशा में समिति की बैठकें स्थगित न रखी जायें। प्रत्येक माह में बैठक के बाद पात्र प्रार्थना पत्रों की सूची बनाकर समिति से अनुमोदनोपरान्त कार्यालय में सुरक्षित रखी जाय एवं धनराशि प्राप्त होने के पश्चात क्रमानुसार धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

S MOURYAG.0

5– वित्तीय वर्ष 2011–12 में आवंटित धनराशि का वितरण किये जाने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवेदकों के लम्बित प्रकरणों को सर्वप्रथम निस्तारण करना सुनिश्चित करने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2011–12 के आवेदनों पर विचार किया जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1495(1)/26–3–2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक जनजाति विकास,उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक आयोजित किये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. बेवमास्टर, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
संयुक्त सचिव

S MOURYAG.0